-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला शंकरनगर मे चल रही अवैध नकली एवं अपमिश्रित गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त को किया गया।**
- **अभियुक्त के कब्जे से गुटखा बनाने की मशीन, अर्द्धनिर्मित गुटखा एवं निर्माण सामग्री सहित करीब 3.5 लाख रुपये का सामान बरामद।**
- **अभियुक्त चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दू अपने मकान में अवैध रूप से अपमिश्रित गुटखा का कर रहा था निर्माण।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा नशीले पदार्थों का अवैध निर्माण एवं बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में दिनांक 08.09.2026 की शाम थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला शंकरनगर में अवैध रूप से संचालित नकली एवं अपमिश्रित गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला शंकरनगर निवासी चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दू अपने मकान में अवैध रूप से गुटखा का निर्माण कर रहा है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मौके पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने मकान में अवैध रूप से गुटखा का निर्माण करते हुए अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मौके से गुटखा बनाने वाली मशीन, अर्द्धनिर्मित गुटखा एवं गुटखा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री सहित अन्य सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख रुपये है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह कानपुर से गुटखा निर्माण की सामग्री लाकर अपने मकान में पिछले कई दिनों से अवैध रूप से नकली एवं अपमिश्रित गुटखा तैयार कर रहा था। तैयार गुटखे को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करता था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों, सप्लायरों एवं खरीदारों के संबंध में भी जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- ✓ चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दू पुत्र मूलचन्द्र निवासी शंकर नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

बरामदगी-

1. 01 गुटखा बनाने की मशीन
2. 03 बोरी मिश्रित तम्बाकू एवं कटी सुपाड़ी वजन लगभग 73 किलोग्राम
3. 01 बोरी में अभय भारत पुड़िया, साहू परिवार पुड़िया एवं जबर सुपाड़ी पुड़िया कुल वजन लगभग 03 किलोग्राम
4. 05 बंडल "शुभम" लिखित रैपर वजन लगभग 40 किलोग्राम
5. 01 बंडल "जबर" लिखित रैपर वजन लगभग 06 किलोग्राम
6. 01 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 451/26 धारा 274/275/345/318(4) बीएनएस व 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0निरी0 कोत0 नगर
2. श्री आकाश शुक्ला चौकी प्रभारी मण्डी समिति
3. उ0नि0 श्री सोनू त्यागी
4. कां0 सौरभ यादव
5. का0 सतीश
6. कां0 मनीष
7. म0उ0नि0 श्रीमति रश्मि सिंह
8. कां0 नरेन्द्र कुमार
9. कां0 प्रशान्त